रजिस्टर्ड

संख्या-1168/सत्तर-6-2016-59/2016

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उ.प्र. शासन।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक, (उत्तर क्षेत्रीय समिति)
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,
एल.आई.सी. बिल्डिंग, भवानी सिंह मार्ग,
जयपुर-302005

उच्च शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ : दिनांक 20 जुलाई, 2016

विषय: एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के प्राविधानों का एम.एड., बी.एड. एवं बी.पी.एड. पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं में अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके PUBLIC NOTICE दिनांक 02 जून, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश में संचालित एम.एड., बी.एड. एवं बी.पी.एड. पाठ्यक्रमों को संचालित करने वाली संस्थाओं में एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कर उन्हें पूर्ण करने हेतु दिनांक 31 दिसम्बर 2016 तक का समय प्रदान करने का कष्ट करें। उक्त तिथि तक यदि सम्बन्धित संस्था द्वारा निर्धारित मानकों को पूर्ण कर वांछित अभिलेख उत्तर क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जयपुर में नहीं जमा किया जाता है, तो उनकी सम्बद्धता के सम्बन्ध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

भवदीय,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

संख्या-1168(1)/सत्तर-6-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ.प्र. को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जयपुर द्वारा निर्गत उक्त PUBLIC NOTICE का संज्ञान लेते हुए उसमें दिये गये निर्देशानुसार एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के प्राविधानों/मानकों का अनुपालन अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के पूर्व पूर्ण कराते हुए उत्तर क्षेत्रीय समिति, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, जयपुर को वांछित सूचना / अभिलेख उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
मधु जोशी
(मधु जोशी)
विशेष सचिव।